न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/2017

मलकीतसिंह पुत्र संतराम जाति मेहरा निवासी 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. जोगेन्द्र कौर पुत्री बदना पुत्र संतराम पत्नी सुच्चासिंह जाति मेहरा निवासी 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजासिंह
3. भन्सासिंह | पिसरान मलकीतसिंह जाति मेहरा निवासी 5 एफ.डी. तहसील
4. जन्टासिंह | रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर 17.01.2017

उपस्थितिः—

श्री अजय धारणीयां अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रणजीतसिंह सोनी, अभिभाषक संख्या 1

श्री परमजीतसिंह मेहरा अभिभाषक रेस्पो संख्या 2 से 4

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 08.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 188 का पेश कर कथन किया कि चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 35 के कि.नं. 19 से 25 की 1.517है0 वादिया के पिता बदना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादिया के पिता का देहान्त दिनांक 21.12.2006 को हो गया है जिसकी वारिस वादिया है। अतः निवदेन है कि उक्त भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया

8/6/18

जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादिया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि मृतक बदना ने विवादित भूमि की वसीयत प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में करवायी है एवं उक्त वसीयत उप पंजीयक रायसिंहनगर से तस्दीकशुदा है जिसे किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में वादिया विवादित भूमि की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की वसीयत बदनाराम ने अपीलांट के पक्ष में करवायी जो पंजीकृत वसीयत है। उक्त वसीयतनामा अधी.न्यायालय में प्रदर्शित हुआ। विवादित भूमि बदनाराम की स्वअर्जित भूमि है जिसकी वसीयत करने का वह अधिकारी था। गवाहों द्वारा भी वसीयत सावित है। किन्तु अधी. न्यायालय द्वारा विवादित भूमि वादिया एवं अपीलांट के पक्ष में 1/2–1/2 का खातेदार घोषित किया है वह गलत है। क्योंकि विवादित भूमि की वसीयत बदना ने अपीलांट के पक्ष में की थी। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने कथन किया कि वादिया रेस्पों. सं. 1 बदना की पुत्री है एवं अपीलांट वादिया के चाचा का लडका है। अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि वादिया एवं अपीलांट को 1/2–1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने में कोई भूल नहीं की है।

8/6/18

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण हाजा में बदना की वादगत आराजी 1/2–1/2 में विरासतन एवं वसीयत के रूप में अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जबकि राज. काश्त.अधि. 1955 की धारा 40 के तहत भूमि या तो विरासतन के रूप में devolve होगी या वसीयत के रूप में, जिसकी bare reading है कि अभिधारियों का उत्तराधिकारः– कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाए तो उसकी जोत में का उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यायगत होगा। वादगत आराजी मूल व्यक्ति बदना को आवंटित होकर उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति होकर उसके द्वारा की गई वसीयत पंजीकृत एवं विधिक है। तदनुसार वादगत आराजी विरासतन की बजाए वसीयत के रूप में devolve होकर अपीलांट वसीयत होल्डर होकर उसके पक्ष में की गई वसीयत अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर